UTTARAKHAND

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
# रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 319 / 11 सी - दिनांक 04/02/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

**विषय–** **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/155241/2022 जनपद रूद्रप्रयाग में चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

**सन्दर्भ–** **भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/56/2023/एफसी ई–पत्रावली संख्या 1/89393/2024 दिनांक 04.12.2024 एवं पत्र संख्या 1743/12–1(2) दिनांक 13.12.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

| क्र0 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| (क.) | राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंन्सी को वनभूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है। | |
| 1 | प्रतिपूरक वनीकरणः– | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.043 है0 अवनत वनभूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या–5 के आप–पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासांशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.043 है0 (वास्तविक 0.35 है0) अवनत वनभूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या–5 के आप–पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा **(संलग्नक–1)** प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षित हेतु वांधित धनराशि रू0 8,85,500.00 मात्र ऑन लाइन द्वारा जमा की जा चुकी है **(संलग्नक–2)।** |
| (ख) | प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने हेतु सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | वन विभाग से सम्बन्धित है। |
| 2 | शुद्ध वर्तमान मूल्यः– | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफसी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 /2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.35 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य वसूली करेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग) द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य 0.35 है0 एनपीवी की देय धनराशि रू0 4,52,498.00 मात्र ऑन लाइन जमा की जा चुकी है **(संलग्नक–2 के अनुसार)।** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद | एनपीवी की धनराशि में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रस्तावक विभाग जमा करने हेतु सहमत है **(संलग्नक–3)।** |

| | | |
|---|---|---|
| | देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | |
| 3 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 03 वृक्षों एवं 47 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 4 | वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलवा निस्तारित नहीं किया जाएगा, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण बचन पत्र प्रदान करेगी। | वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलवा नहीं निस्तारित किया जायेगा **(संलग्नक–4)।** |
| 5 | गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सकरार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 6 | राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | एफ.आर.एक. प्रमाण पत्र संलग्न हैं। **(संलग्न–5)** |
| 8 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें। | उक्त धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में ही जमा की गयी है **(संलग्नक–2 के अनुसार)** |
| 9 | अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। | अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है। |

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

**परियोजना का नाम :** **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0**

## मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर के प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 0.35 है0 अवनत वनभूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या–5 के आप–पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा ।

| कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता |
| --- | --- | --- |
| प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 | प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 | प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 |
| रूद्रप्रयाग | रूद्रप्रयाग | रूद्रप्रयाग |

सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
रूद्रप्रयाग

(2##) (210)

**Bill Type : Normal**

2701251164

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

Vr No (210) Dt 30/01/25

: रूद्रप्रयाग

: रूद्रप्रयाग

...कब से .......................... कब तक

| 1 | 0 | 3 |
|---|---|---|

.../उपकोषागार का कोड

| 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

...पंजी की क्रम संख्या

| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|

वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) | 0 | वाउचर दिनांक | - |

**लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण**

| | |
|---|---|
| मुख्य लेखाशीर्षक - | (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय |
| उप मुख्य लेखा शीर्षक - | (04)जिला तथा अन्य सड़के |
| लघुशीर्षक - | (337)सड़क निर्माण कार्य |
| उपशीर्षक - | (03)राज्य सेक्टर |
| ब्योरेवार शीर्षक - | (04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण |

...देय/भारित : मतदेय

...लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी रूद्रप्रयाग

आहरण वितरण अधिकारी का कोड

| 4 | 2 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|

...विभाग का नाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी रूद्रप्रयाग

अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या 14- सोर्स कोड :0 15- सेक्टर कोड : 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

Project : PR9000422706241001 वर्ष 2024-25 एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रतिकर मद

Contract :

**बजट की वर्तमान स्थिति**

| मानक मद का नाम व कोड | आवंटित कुल बजट | इस विल को सम्मिलित करते हुए | अवशेष बजट |
|---|---|---|---|
| ...4-भूमि क्रय | 17384605 | 7121702 | 10262903 |

**भुगतान का विवरण**

| मानक मद का कोड एवं नाम | धनराशि |
|---|---|
| 54-भूमि क्रय | 13,37,998 |
| **66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)** | **13,37,998** |

...NLY FOR OFFICIAL USE

**कटौतियों का कोड सहित विवरण**

| | |
|---|---|
| **77- सम्पूर्ण कटौतियां** | **-** |
| **99 शुद्ध देय धनराशि 66-77** | **13,37,998** |

| Sl. No. | व्यय सम्बन्धी विवरण | धनराशि रू0 | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | BANWALDHAR /30-JAN-2025/Mr Uttaranchal Campa Banwaldhar | 13,37,998 | |
| | 6- सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद | **13,37,998** | |
| | 7- सम्पूर्ण कटौतियां | **-** | |
| | 9 शुद्ध देय धनराशि 66-77 | **13,37,998** | |

...प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत ... है तथा ... देयक के ... की प्रति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी / लेखाधिकारी ... लो0नि0वि0 ...

अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)

(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...राशि रू0 13,37,998 (Rupees Thirteen Lacs Thirty Seven Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

• ...द्वारा रू0 -

...ल धनराशि रू0 13,37,998

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

| Sl. No. | Beneficiary | Account Type | IFSC CODE | Account No | Gross Amount | Total Deduction | Advance Amount | Net Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP9000422701251287 Mr Uttaranchal Campa Banwaldhar | Saving | UBIN0996335 | 1508961155241609 | 1337998 | 0 | 0 | 1337998 |
| | | | | | **1337998** | **0** | **0** | **1337998** |

सत्यापित

सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

## एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग |

# वन क्षेत्र में मलवा निस्तारण न किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण वन क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।

उक्त मलवे के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थान पर डम्पिंग जोन बनाये जायेंगे।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

## मक डिस्पोजल प्लानिंग

| | | | |
|---|---|---|---|
| A (i) | Material recived from hill side cutting (Civil Van Panchayat land) (1/2 x 2050 x 5.95 x 3.00) = | 9817.50 | cum |
| A (ii) | Material recived from hill side cutting (Naap land) (1/2 x 900 x 5.95 x 2.00) = | 5355.00 | cum |
| | **Total A** | **15172.50** | **Cum** |
| B | Material received from hill side cutting including 40% of swell factor | 6069.00 | cum |
| A+B | Material to be Disposedl by Cartage | **21241.50** | **Cum** |
| | **Material Re-used in the project after 40% swell factor of A+B** | | |
| 1 | R.R. Stone Masonary laid in 1:6 | 1300.00 | cum |
| 2 | R.R. Stone Masonary laid dry | 1800.00 | cum |
| 3 | Hand packed Stone filling | 800.00 | cum |
| 4 | Construction of Wire crate | 3000.00 | cum |
| 5 | Construction of Parapet | 458.65 | cum |
| 6 | Granular sub base /base/surface | 250.00 | cum |
| 7 | Construction of Scupper | 1500.00 | cum |
| 8 | Construction of Road side Drain | 100.00 | cum |
| 9 | Super elevation & Patri filling | 150.00 | cum |
| 10 | Concrete work | 200.00 | cum |
| 11 | **Total** | **9558.65** | **cum** |

Summary of Dabries Disposal

| Sr. No. | Total Dabries | Material disposal by Cartage | Reused material for road construction | Total disposal in Dumping Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21241.50 Cum | 11682.82 Cum | 9558.65 Cum | 11682.82 Cum (55.00%) |

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag



सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

# Detail of Muck Disposal Sites

| S. No. | Location of Dumping Yard) | Owner of Land | Area (in hectares) | Height of Dumping Zone (m) | Capacity of Dumping yard in cum | longitude /latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | Naap Land | 0.0125 | 8.00 | 1000.00 | 79°7'17.02"E 30°20'26.81"N |
| 2 | 0/25 | Naap Lnad | 0.0125 | 8.00 | 1000.00 | 79°7'16.17"E 30°20'31.9"N |
| 3 | 1/3 | Naap Land | 0.0325 | 15.00 | 4875.00 | 79°6'59.16"E 30°20'22.33"N |
| 4 | 1/35 | Naap Land | 0.0325 | 15.00 | 4875.00 | 79°6'55.88"E 30°20'9.41"N |
| | Total | | 0.0900 | | 11750.00 | |

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

# Muck Disposal cross section

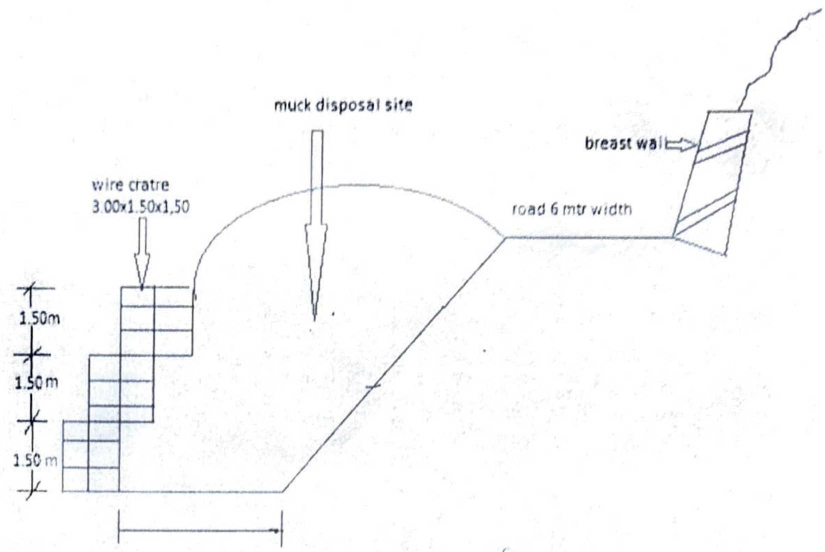


J.E

AE

E.E
P.D. P.W.D
RUDRAPRAYAG

सहायक अभियन्ता
प्र०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

नकल खसरा ग्राम जरम्वाड़ परगना रुद्रप्रयाग तहसील रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग साल 2021 फसली 1425 फ

| खेत की संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | नं० खाता खतौनी | खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम | खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो। | सिंचाई का साधन | क्षेत्रफल खरीफ फसल | खरीफ सिंचित | खरीफ असिंचित | रबी फसल | रबी सिंचित | रबी असिंचित | जायद फसल | जायद सिंचित | जायद असिंचित | फसलों क्षेत्रफल दो फसली सिंचित | दो फसली असिंचित | अकृषित भूमि नाप | अकृषित भूमि क्षेत्रफल | खेत के पेड़ हुए पेड़ की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 |
| 140 | 0.048 | 31 | मखनू पुत्र गलबी मृहि जीतपाल सिंह। हि० महिपाल सिंह। हि० भूपेन्द्र सिंह। हि० पुत्रगण धन्नू मालसिंह पुत्र गब्बी 4 हि० श्रीमती विद्या देवी विधवा रामसिंह 3 हि० इन्द्र सिंह 4 हि० कोमिला 4 हि० पुत्रगण सानी सिंह विजयपाल सिंह पुत्र दरवान सिंह 4 हि० ग्राम जेठ कुल 24 हिस्से | | | धान | | 0.048 | गेहूं | | 0.048 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 421 | 0.053 | 33 | मायाराम श्रीनन्द पुत्रगण विद्यादत्त, राधाकृष्ण श्रीकृष्ण रामकृष्ण विश्वम्भरदत्त पुत्रगण नारायणदत्त निवासी ग्राम | | — | धान | | 0.053 | गेहूं | | 0.053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

नोट- (1) खसरा असल से नकल कर तैयार किया गया।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि विजयपाल सिंह पुत्र दरवान सिंह ग्राम जरम्वाड़ का खसरा नं० 140 मध्ये रकबा 0.048 हेक्टेयर ... भूमि डम्पिंग जोन हेतु प्रस्तावित किया गया।

... जाता है कि विश्वम्भरदत्त पुत्र नारायणदत्त ग्राम जरम्वाड़ का खसरा नं० 421 मध्ये रकबा 0.053 हेक्टेयर ... ग्राम मैली जरम्वाड़ मोटर मार्ग डम्पिंग जोन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्र०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

31-05-2021
राजस्व उपनिरीक्षक
जखोली / काण्डई
रुद्रप्रयाग
जिला- रुद्रप्रयाग

नकल खसरा ग्राम - बैंजीकाण्डई परगना - रुद्रप्रयाग तहसील - रुद्रप्रयाग जिला - रुद्रप्रयाग साल - फसलवार

| खेत की संख्या | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | नं० खाता खतौनी | खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम | खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो, | सिंचाई का साधन | क्षेत्रफल खरीफ फसल | खरीफ सिंचित | खरीफ असिंचित | रबी फसल | रबी सिंचित | रबी असिंचित | जायद फसल | जायद सिंचित | जायद असिंचित | फसलों की दो फसला सिंचित | दो फसला असिंचित | आकस्मिक फसल मात्र क्षेत्रफल | | खेत के ऊपर कुल पेड़ों की संख्या | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 228 ~~1727~~ | 0.024 | 7 | अनिल प्रसाद सुशील प्रसाद पुत्रगण उमादत्त ललितमोहन राजेन्द्र प्रसाद विवेकानन्द पुत्रगण केवलानन्द आदि आदि - - - - - - | | | सांवा | | 0.024 | गेहूं | – | 0.024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1727 | 0.029 | 81 | भगवती प्रसाद देवेन्द्र प्रसाद पुत्रगण गौरीदत्त जगदीश प्रसाद विलोचन प्रसाद विनोद प्रसाद पुत्रगण प्राणीदत्त नि० ग्रा० | | | मंडुवा | | 0.029 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

नोट - (1) खसरा असल से नकल कर तैयार किया
(2) डम्पिंग जोन हेतु प्रस्तावित खेत

29/05-2021
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - जगी काण्डई
तहसील - [illegible]प्रयाग
जिला - [illegible]

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
[illegible] लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

(15)

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं हरी प्रसाद पुत्र स्व० विशम्भरदत्त ग्राम जम्बाड़ ग्राम पंचायत जम्बाड़ पटवारी वृत्त जग्गी काण्डई, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग अपनी निजि भूमि जिसका खसरा नं० 421 है। लो०नि० वि० रुद्रप्रयाग को सड़क निर्माण हेतु (डम्पिंग जॉन) के लिए अपने होशो हवास मे दे रहा हूँ।

इसमें किसी भी कोई आपत्ति नही है।

हरी प्रसाद काण्डपाल

ह० हरीप्रसाद पुत्र स्व० विशम्भरदत्त
ग्राम जम्बाड़

प्रधान ग्राम पंचायत जम्बाड़
ह० [illegible]
दि० 05/07/2021

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

# "अनापत्ति प्रमाणपत्र"

मैं विजयपाल सिंह पुत्र स्व० श्री दरमान सिंह ग्राम जरम्वाड़ ग्राम पंचायत जरम्वाड़ पटवारी क्षेत्र जाखी कांडई तहसील व रुद्रप्रयाग अपनी निजी भूमि जिसका खसरा नं. 140 है लो०नि०वि रुद्रप्रयाग को सड़क निर्माण हेतु (डम्पिंग जोन) के लिए अर्पण होकर हवाले में दे रहा हूँ।

इसमें किसी भी कोई आपत्ति नहीं है।

ह० (हस्ताक्षर) 29/6/21

विजयपाल सिंह नेगी
S/o स्व० दरमान सिंह
ग्राम जरम्वाड़

प्रधान ग्राम पंचायत जरम्वाड़
ह० पुष्पेन्द्र सिंह
दि० 05/07/2021

सत्यापित
(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग

विषय :- सड़क निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु भूमि के अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि कोरखाल-कान्डई-जरम्बाड़ सड़क के किलोमीटर 09 से चोपड़ा-उड़ामाणा सड़क मिलान हेतु प्रस्तावित सड़क जरम्बाड़ से एस.सी. बस्ती बैंजी कान्डई होते हुए तोलिया गदेरा तक के निर्माण हेतु मलवा निस्तारण हेतु अपनी भूमि (खेत संख्या 1727, रकवा 0.029 हे.) स्वेच्छा से दे रहा हूँ, जिसमें मेरा एवं मेरे पारिवारिक जनों को कोई आपत्ति नही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि इस दस्तावेज को मेरी ओर से अनापत्ति पत्र समझा जाए।

दिनांक: 2-06-2021

भवदीय

(भगवती प्रसाद)-

जगदीश प्रसाद-

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत बैंजी कान्डई
ह० [illegible]
दि० 2-06-2[illegible]

(56)

सेवा में

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग

विषय:- सड़क निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु भूमि के अनापत्ति के सम्बन्ध में,

महोदय,
निवेदन इस प्रकार से है कि कोटखाल-काण्डई-जरम्बाड़ सड़क के किलोमीटर 09 से चोपड़ा-उड़ामाण्डा सड़क मिलान हेतु प्रस्तावित सड़क जरम्बाड़ से एस.सी. बस्ती बैंजी काण्डई होते हुए तोलिया गदेरा तक निर्माण हेतु मलवा निस्तारण हेतु अपनी भूमि (खेत संख्या 228, रकबा 0.024 हे.) स्वेच्छा से दे रहा हूँ, जिसमें मेरा एवं मेरे पारिवारिक जनों को कोई आपत्ति नहीं है,

अतः महोदय से निवेदन है कि इस दस्तावेज को हमारी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र समझा जाए,

दिनांक:- 2.06-2021

भवदीय

ललित मोहन काण्डपाल
ललितमोहन
Kandpal
विवेकानन्द काण्डपाल

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत बैंजी काण्डई ... अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
ह०
दि० 2-06-2021

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम– भगवती प्रसाद

ग्राम– बैंजी काण्डई

क्रास सैक्षन ........................... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काष्तकारों श्री भगवती प्रसाद...... पुत्र श्री .............................. ग्राम बैंजी काण्डई... पटवारी वृत्त जगी काण्डई... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0 सं0 | खाता /खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 81 | 0.029 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | योग | 0.029 |

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्र0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक
25-07-2021
जगीकाण्डई
रूद्रप्रयाग
जिला - रूद्रप्रयाग

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिंस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय ललित

नाम– ललित मोहन काण्डपाल

ग्राम– बैंजी काण्डई

क्रास सैक्षन .................... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काष्तकारों श्री ललित मोहन काण्डपाल पुत्र श्री .................... ग्राम बैंजी काण्डई पटवारी वृत्त जग्गी काण्डई जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0 सं0 | खाता /खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.024 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | योग | 0.024 |

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक
25-07-2021
जग्गी काण्डई
रूद्रप्रयाग
जिला – रूद्रप्रयाग

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम– हरि प्रसाद काण्डपाल

ग्राम– जरम्वाड़

क्रास सैक्षन .......................... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काष्तकारों श्री हरि प्रसाद काण्डपाल पुत्र श्री .............................. ग्राम जरम्वाड़ पटवारी वृत्त जग्गी काण्डई जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0 सं0 | खाता /खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 0.048 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | योग | |

25-07-2021

राजस्व उप निरीक्षक जग्गी काण्डई
रुद्रप्रयाग
जिला – रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम– विजयपाल सिंह कठैत

ग्राम– जरम्वाड़

क्रास सैक्षन ........................... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काष्तकारों श्री विजयपाल सिंह कठैत.... पुत्र श्री .................................. ग्राम जरम्वाड़.............. पटवारी वृत्तजग्गी काण्डई... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0 सं0 | खाता /खसरा नम्बर | भूमि (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 0.053 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | योग | |

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

25-07-2021
राजस्व उप निरीक्षक जग्गी काण्डई
रूद्रप्रयाग।
जिला – रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :–
तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे0 ~~सिविल~~ वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.35 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैंजी काण्डई द्वारा दिनांक 18-7-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैंजी काण्डई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 Heme
18/7/21
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बैंजी ...

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव बैंजी काण्डई
वि0 ख0–अगस्त्यमुनि
जनपद–रूद्रप्रयाग

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
...लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

## प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

दिनांक 18/7/024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बैंजी काण्डई

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1— | श्री रामप्रसाद काण्डपाल | |
| 2- | वी० पी० काण्डपाल | |
| 3- | कमलकान्त " | |
| 4- | अनूप " | |
| 5. | निधि किशोर " | |
| 6- | राजेन्द्र काण्डपाल | |
| 7- | वेद प्रकाश " | |
| 8- | गीर्वाण प्रसाद | माधुरी |
| 9- | माधुरी | Skandpal |
| 10- | रामू प्रसाद | |
| 11- | नवल | |
| 12- | हरेन्द्र सिंह | Nitin |
| 13- | विपिन नितिन | अनीता देवी |
| 14- | अनीता देवी | Namita |
| 15- | नमिता | Sunita |
| 16- | सुनीता | चन्द्र मोहन |
| 17- | चन्द्रमोहन लाल | |
| 18- | प्रदीप काण्डपाल | Kandpal |
| 19- | विवेक काण्डपाल | |
| 20- | [illegible] लाल | |
| 21- | करण सिंह | |

22- विजयपाल

संलग्न है।

Hema
18/7/024
ह0/–
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र
वि0 ख0–अगस्त्यमुनि
जनपद–रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :–
तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड **अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे0 ~~सिविल~~ वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जरम्वाड़ – द्वारा दिनांक 20-7-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जरम्वाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ जरम्वाड़
ग्राम सचिव
ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र अगस्त्यमुनि
जनपद–रूद्रप्रयाग

ह0
ह0 20/07/2021
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत जरम्वाड़

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

दिनांक 20/07/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....जरम्वाड.........

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | राजपालसिंह राणा | [signature] |
| 2. | प्रवेन्द्र सिंह | |
| 3. | बलवन्तसिंह भण्डारी | बलवन्त सिंह |
| 4. | कमल सिंह नेगी | कमल सिंह |
| 5. | अमर सिंह राणा | अमर सिंह |
| 6. | हिम्मत सिंह रावत | H.S. Rawat |
| 7. | विजयपाल सिंह | [signature] |
| 8. | मंगल सिंह राणा | |
| 9. | जयपाल सिंह | [signature] |
| 10. | जशवन्त सिंह | ईश्वर सिंह |
| 11 | ईश्वर सिंह | मदन सिंह |
| 12 | मदन सिंह | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

संलग्न है।

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र बैंजी काण्डई, जरम्वाड
वि0 ख0–अगस्त्यमुनि
जनपद–रूद्रप्रयाग

[stamp: ग्राम पंचायत जरम्वाड]
ह0/ 20/07/21
ग्राम प्रधान

[stamp] सत्यापित
[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

## उपखण्ड स्तरीय समिति, रूद्रप्रयाग ।

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0** (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0·35 हे0 [redacted] वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0·35 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक 6/4/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती अपर्णा ढौंडियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती अपर्णा ढौंडियाल उपजिलाधिकारी ———————————— अध्यक्ष
2– श्री ~~[illegible]~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि ———— सदस्य
3– श्री संजीव पाल ———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी अगस्त्यमुनि ———— सदस्य/सचिव
4– श्री सरताज सिंह नेगी बी0डी0सी0 क्षेत्र बैंजी काण्डई ———————— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0** परियोजना हेतु 0·35 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0** परियोजना के निर्माण हेतु 0·35 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग।

सरताज सिंह नेगी
क्षेत्र पंचायत बैंज काण्डई
वि0ख0 अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

कुलदीप सिंह
39 क्षेत्र पंचायत बिजराकोट
विकास खण्ड-अगस्त्यमुनि

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
अगस्त्यमुनि

सहायक अभियन्ता
[illegible] लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

# "समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

**तथा**

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि **जरग्वाड से बैंजी काण्डई** मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

**के बीच**

आज दिनांक 25-7-21 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

| नाम भूमिधर | हस्ताक्षर |
|---|---|
| नाम– | |
| 1. [illegible] | |
| 2. बी.डी. काण्डपाल | |
| 3. | |
| 4. [illegible]कान्त | |
| 5. कालिका | |
| 6. जय वर्धन | |
| 7. दीपायु | |
| 8. माधुरी | माधुरी |
| 9. | |
| 10. ललित मोहन | |
| 11. चरण सिंह | |
| 12. [illegible] मोहन लाल | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |

ह0 पटवारी / मोहर
25-07-2021
[illegible]
रुद्रप्रयाग
जिला- रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

23.3



# FORM-1

## (for linear projects)

## Government of Uttarakhand
## Office of the District Collector Rudraprayag

Dated-----16.06.2022

No-8

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.35 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Banwaldhar (Jarmwar) to Bainji Kandai Motor Road under District sector in District Rudraprayag** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Bainji Kandai** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division lavel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

**Mayur Dixit (I.A.S.)**

**(Full name and official seal of the District Collector)**

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

23·4 **ANNEXURE....**

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR**
**DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mayur Dixit, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 16/6/2022 at time 11 A.M. at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring 0.35 **hect** for the **Construction of Banwaldhar (Jarmwar) to Bainji Kandai Motor Road under District sector in District Rudraprayag (2.05 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place : Rudraprayag**
**Dated:** 16/6/2022

**Mayur Dixit (I.A.S.)**
**District Magistrate-cum-**
**Chairman, District Level**
**Committe, Rudraprayag**

अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग